कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2915/11–सी–FP/UP/Trans/15538/2015, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 08 ,2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात 3.1136 हे0 वनभूमि एवं बाधक 117 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0 वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 15.7791 हे0 आरक्षित तथा 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात कुल 23.5776 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2898 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8B/UP/04/05/2024/FC/112, दिनांक 27.08.2024 एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, प्रयागराज का पत्रांक–3066/15–1, दिनांक 19.03.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख पेनड्राइव सहित प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, प्रयागराज के उपरोक्त पत्रांक–3066/15–1, दिनांक 19.03.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख पेनड्राइव सहित इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

08.04

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2915 /11–सी–FP/UP/Trans/15538/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, प्रयागराज एवं आगरा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज/कानपुर नगर/कानपुर देहात/मैनपुरी/औरैया/फतेहपुर।
3. महाप्रबन्धक (पारेषण), एस0ई0यू0पी0पी0टी0सी0एल0, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

08.04

(ललित कुमार वर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक– 3066 /15–1 दिनांक, प्रयागराज, 19 फरवरी, 2025। मार्च

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ऑनलाइन प्रस्ताव सं0–FP/UP/TRANS/155/38/2015

विषयः– **765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य में कानपुर नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 एवं 18 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.8064 हे0 व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि अर्थात कुल 3.1136 हे0 वन भूमि तथा 117 वृक्षों के पातन, प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.4288 हे0 व आरक्षित वन भूमि 14.4106 हे0 अर्थात कुल 14.8394 हे0 वन भूमि तथा 2460 वृक्षों/पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 व आरक्षित वन भूमि 1.3685 हे0 अर्थात कुल प्रभावित वन भूमि 1.7141 हे0 एवं 220 वृक्षों/पौधों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 1.4145 हे0 एवं 16 वृक्षों/पौधों के पातन एवं फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 2.1504 हे0 व 67 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात 5.4913 हे0 संरक्षित वन भूमि, 15.7791 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि कुल 23.5776 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 2898 वृक्षों/पौधों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।**

Ad.S.O. I/c on APCCF Nodal & A.O. 04/04/25

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/04/05/2024/एफ0सी0/112, दिनांक–27.08.2024 तथा आपका पत्रांक–571/11–सी–FP/UP/TRANS/155/38/2015, दिनांक–28.08.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र के क्रम में चाही गयी बिन्दुवार सूचना/अभिलेख कुल ऑनलाइन अपलोड कर आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार प्रेषित है–

S.No.	Query	Reply
1	2	3
1.	The revised kml file of the complete route depicting Forest land as well as non-forest land needs to be uploaded on PARIVESH portal since the area in kml file of proposed diversion area is **20.6763 ha** and the area proposed for diversion is 19.9019 ha which is not matching.	संशोधित kml File यूजर एजेन्सी द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
2.	As per the DSS. some parts of the forest block area in the KML file at Mainpuri, Auraiya and Kanpur Dehat districts have been demarcated as Non-Forest land. Thus, the rectified and revised KML file along with all related documents of the area proposed for diversion needs to be uploaded on the PARIVESH portal.	संशोधित kml File मैनपुरी, औरैया तथा कानपुर देहात वन प्रभाग द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
3.	The KML file of the alternate routes with demarcation of Forest area and Non-Forest area needs to be uploaded on the portal.	संशोधित kml File यूजर एजेन्सी द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
4.	A Solar Power Plant is visible in Google earth Imagery close to the area proposed for CA in Meja Range. The concerned DFO needs to provide the approval details of Solar Power Plant and if the Solar power plant is in non-forest land, the DFO shall submit a certificate that the said solar plant is in Non Forest Land.	प्रयागराज वन प्रभाग से अपेक्षित प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
5.	Approval details of existing Transmission line close to the proposed Transmission line needs to be submitted.	यूजर एजेन्सी द्वारा अपेक्षित विवरण परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
6.	Divisional Forest Officer (DFO) Kanpur Dehat to re-inspect the area proposed for diversion as it seems that some part of PF area is undervalued.	कानपुर वन प्रभाग द्वारा वन भूमि को संशोधित कर उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

SOUTH EAST UP POWER TRANSMISSION CO. LTD.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Shalimar Titanium
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

ऑनलाइन प्रस्ताव सं० – FP/UP/TRANS/15538/2015

विषय : 765 के० वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी - बारा पारेषण लाइन सर्किट - 1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग के अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे० एवं 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग के अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.8064 हे० व 2.3072 हे ० अवर्गीकृत वन भूमि अर्थात कुल 3.1136 हे० वन भूमि तथा 117 वृक्षों के पातन, प्रयागराज वन प्रभाग के अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.4288हे० व आरक्षित वन भूमि 14.4106 हे० अर्थात कुल 14.8394 हे० वन भूमि तथा 2460 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग के अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे० व आरक्षित वन भूमि 1.3685 हे० अर्थात कुल प्रभावित वन भूमि 1.7141 हे० एवं 220 वृक्षों / पौधों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 1.4145 हे० एवं 16 वृक्षों / पौधों के पातन एवं फतेहपुर वन प्रभाग के अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 2.1504 हे० व 67 वृक्षों / पौधों के पातन अर्थात 5.4913 हे० संरक्षित वन भूमि, 15.7791 हे० आरक्षित वन भूमि तथा 2.3072हे० अवर्गीकृत वन भूमि कुल 23.5776 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 2898 वृक्षों / पौधों के अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक - 8बी० / यू० पी० / 04 / 05 / 2024 / ऍफ़0-सी० / 112, दिनांक – 27/08/2024.
2. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ का पत्रांक 571/11-सी – FP/UP/Trans/15538/2015, लखनऊ, दिनांक : अगस्त 28, 2024

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में कि गयी आपत्तियों का विंदुवार निराकरण निम्नानुसार करते हुए आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

SOUTH EAST UP POWER TRANSMISSION CO. LTD.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

409, 4th Floor, Shalimar Titanium
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com

Sl.	Query	Compliance
1.	The revised .kml file of the complete route depicting forest land as well as non-forest needs to be uploaded on PARIVESH portal since the area in .kml file of proposed diversion area in 20.6763 ha and the area proposed for diversion is 19.9019 ha which is not matching.	Revised KML of Kanpur Dehat and Auraiya forest division have been uploaded in Part-1. There is no facility in Parivesh 1.0 portal to upload the complete KML file depicting forest and non-forest area at one place. The corrected KML file is being given in Pen drive for your kind perusal.
2.	As per the DSS, some parts of the forest block area in the KML file at Mainpuri, Auraiya & Kanpu Dehat district have been demarcated as Non -Forest land. Thus, the rectified and revised KML file along with all related documents of the area proposed for diversion needs to be uploaded on the PARIVESH portal.	The non-forest has been revalidated by DFO Mainpuri, DFO Auraiya and DFO Kanpur Dehat and uploaded their reply under respective division in Additional information details at point no. 12 (Mainpuri Division), Point no. 4 (Auraiya Division) and point no. 24 (Kanpur Dehat Division) in part 2.
3.	The KML file of the alternate routes with demarcation of Forest area and Non-forest area needs to be uploaded on the portal.	The KML file of the alternate routes with demarcation of forest and non-forest is being submitted in pen drive as there is no provision to upload the complete file at a single location in Parivesh portal 1.0 The PDF file of Geo referenced Map of alternative rout has been uploaded online Part-1 in Additional Information Details at Sl.No. 22.
4.	A Solar Power Plant is visible in Google earth Imagery close to the area proposed for CA in Meja Range. The concerned DFO needs to provide the approval details of Solar Power Plant is in Non-Forest land.	A certificate clearing that the solar plant is installed near the area proposed for CA in Meja range is installed at purely at Non forest land by DFO Prayagraj and has been uploaded in part 2 in additional information details at point no. 11 under Social Forestry Division Allahabad.
5.	Approval details of existing Transmission line close to the proposed Transmission line needs to be submitted.	The approval letter which is granted by RO – MoEFCC, Lucknow has been uploaded in Part-1 – Additional Information Details at point no. 27
6.	Divisional Forest Officer (DFO) Kanpur Dehat to re-inspect the area proposed for diversion as it seems that some part of the PF area in undervalued.	Divisional Forest Officer (DFO) Kanpur Dehat has visited the left forest patches and added the affected unclassified forest area in KML file. He has also provided the CA land of increased forest area in his division and uploaded the land suitability certificate, CA details, KML file, toposheet and Geo referenced map – Division Kanpur Dehat at point no. 13 (i), (ii), (iii), (iv) & (v) in Part-2.

धन्यवाद,
अनुराग शुक्ला
ग्रुप हेड

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. LUCKNOW

Details of forest area - 765 kv S/C Mainpuri - Bara Ckt-1 (Component Wise)

Sl.No.	Division Name	Name of Village	Width (m)	Length (m)	Forest Area (Ha)
1	Prayagraj	VAN Block 135/0 to 138/0	64	2251.659	14.4106
		NH-76 Allahabad to Jhansi 141/0 to 142/0	64	67.000	0.4288
		Total			**14.8394**
2	Fatehpur	Khaga to Kishanpur Road 83/0 to 83/1	64	21.000	0.1344
		Khakreru to Kot Road 90/1 to 90/2	64	21.000	0.1344
		Shivrajpur to Chila Road 55/2 to 55/3	64	21.000	0.1344
		Joniha to Amoli Road 54/2 to 55/0	64	21.000	0.1344
		Lower Ganga Canal Road 52/6 to 53/0	64	21.000	0.1344
		Khajuha to Amila Road 42A/0 to 43/0	64	21.000	0.1344
		Bindiki to Jahanabad Road 39/3 to 40/0	64	21.000	0.1344
		Bakewar to Caudagaraha Road 38/0 to 39/0	64	21.000	0.1344
		Devmaai to Shakura Road 35/1 to 35/2	64	21.000	0.1344
		Fatehpur to Gazipur Road 67/5 to 68/0	64	21.000	0.1344
		Fatehpur to Banda Road 61/0 to 62/0	64	21.000	0.1344
		Gazipur to Ashotar Road 71/1 to 71/2	64	21.000	0.1344
		Lower Ganga Canal 72/0 to 72/1	64	21.000	0.1344
		Itaullaipur to Bharashowl Marg 82/0 to 82/1	64	21.000	0.1344
		Lower Ganga Canal 53/2 to 54/0	64	21.000	0.1344
		Rari Minor Road 86/0 to 86/1	64	21.000	0.1344
		Total			**2.1504**
3	Kanpur Nagar	Lower Ganga Canal (Kanpur Branch) 33/2 to 33/3	64	18.000	0.1152
		NH-86 Kanpur to hamirpur 74/0 to 75/0	64	36.000	0.2304
		Total			**0.3456**
4	Kanpur Dehat	Rura to Jinjhak Canal Road 50/4-50/5	64	33.500	0.2144
		Rura to Derapur Road -60-6_60-7	64	33.500	0.2144
		Sargaon Bujurg - Unclassified 60A/4-60A/5	64	360.500	2.3072
		Rura to Akahbarpur Road 61B/4 to 61B/5	64	20.000	0.1280
		NH- 2 Kanpur to Delhi 64/0 to 65/0	64	39.000	0.2496
		Total			**3.1136**
5	Auraiya	Bela to Dibiyapur - 38-6_38-7	64	16.000	0.1024
		Bidhuna to Kudrakot Road - 34_35	64	38.000	0.2432
		Chirkua Van Block - Samayan - AP32/2-AP32A/0	64	0.009	0.5715
		Chirkua Van Block - Samayan - AP32/1-AP32/2	64	0.005	0.3337
		Chirkua Van Block - Rathgaon - AP33/1-AP33/2	64	0.001	0.0912
		Chirkua Van Block - Rathgaon - AP33/2-AP33/4	64	0.002	0.1052
		Ingura Van Block - AP41B/5 - 41B/6	64	0.004	0.2669
		Total			**1.7141**
6	Mainpuri	SH - 84 Sikohabad to Mainpuri KM 37 - 38_1-2	64	40.000	0.2560
		SH - 83 Etawa to Mainpuri KM 47 to 48 - 10A_10A-1	64	20.000	0.1280
		RLW Sikohabad - Farukhabad KM STONE 1251/2 to 1251 - 6_7	64	82.000	0.5248
		Lower Ganga Canal KNP to ALIGH - 5A_5B	64	39.020	0.2497
		NH- 92 Bewar to Etawa KM 26-27 - 21_22	64	40.000	0.2560
		Total			**1.4145**
		Total			**23.5776**

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. LUCKNOW

Georeferenced Map of Proposed Forest Land for Proposed and Two Alternative (ROW) for 765 KV S/C Mainpuri - Bara CKT-1 Transmission Line

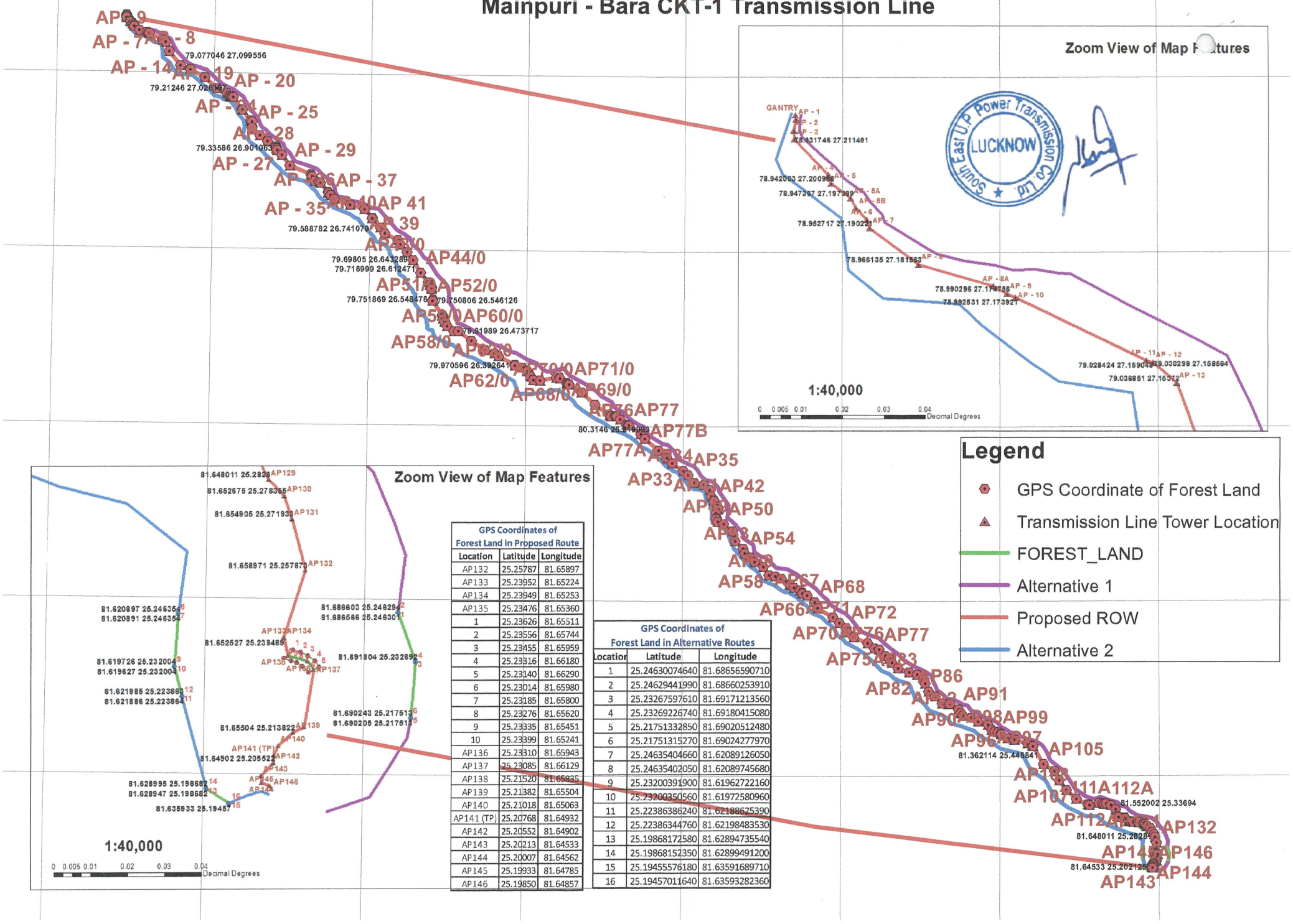

GPS Coordinates of Forest Land in Proposed Route		
Location	Latitude	Longitude
AP132	25.25787	81.65897
AP133	25.23952	81.65224
AP134	25.23949	81.65253
AP135	25.23476	81.65360
1	25.23626	81.65511
2	25.23556	81.65744
3	25.23455	81.65959
4	25.23316	81.66180
5	25.23140	81.66290
6	25.23014	81.65980
7	25.23185	81.65800
8	25.23276	81.65620
9	25.23335	81.65451
10	25.23399	81.65241
AP136	25.23310	81.65943
AP137	25.23085	81.66129
AP138	25.21520	81.65835
AP139	25.21382	81.65504
AP140	25.21018	81.65063
AP141 (TP)	25.20768	81.64932
AP142	25.20552	81.64902
AP143	25.20213	81.64533
AP144	25.20007	81.64562
AP145	25.19933	81.64785
AP146	25.19850	81.64857

GPS Coordinates of Forest Land in Alternative Routes		
Location	Latitude	Longitude
1	25.24630074640	81.68656590710
2	25.24629441990	81.68660253910
3	25.23267597610	81.69171213560
4	25.23269226740	81.69180415080
5	25.21751332850	81.69020512480
6	25.21751315270	81.69024277970
7	25.24635404660	81.62089126050
8	25.24635402050	81.62089745680
9	25.23200391900	81.61962722160
10	25.23200350560	81.61972580960
11	25.22386386240	81.62188625390
12	25.22386344760	81.62198483530
13	25.19868172580	81.62894735540
14	25.19868152350	81.62899491200
15	25.19455576180	81.63591689710
16	25.19457011640	81.63593282360

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/04/31/2016/एफ.सी./457 दिनांकः 02.09.2022

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/15520/2015

विषय : 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी–बारा (सर्किट–2) पारेषण लाईन निर्माण हेतु एस0ई0यू0पी0टी0सी0एल0 को जनपद इलाहाबाद की 16.811 हे0 आरक्षित एवं 0.4290 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन, जनपद फतेहपुर में 2.4192 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 213 वृक्ष, कानपुर नगर में 0.5120 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 74 वृक्ष, कानपुर देहात में 0.9120 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 70 वृक्ष, औरैया में 0.1024 हे0 संरक्षित एवं बाधक 20 वृक्ष तथा मैनपुरी में 1.4150 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 88 वृक्षों का पातन इस प्रकार परियोजना में कुल 16.811 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 5.7896 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 22.6006 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 499 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–2253/81–2–2021–800(55)/2015, लखनऊ, दिनांक–22.08.2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 748/14–2–2016–800(55)/2016 लखनऊ दिनाक 27.03.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.06.2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी–बारा (सर्किट–2) पारेषण लाईन निर्माण हेतु एस0ई0यू0पी0टी0सी0एल0 को जनपद इलाहाबाद की 16.811 हे0 आरक्षित एवं 0.4290 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन, जनपद फतेहपुर में 2.4192 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 213 वृक्ष, कानपुर नगर मे 0.5120 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 74 वृक्ष, कानपुर देहात में 0.9120 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 70 वृक्ष, औरैया में 0.1024 हे0 संरक्षित एवं बाधक 20 वृक्ष तथा मैनपुरी में 1.4150 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 88 वृक्षों का पातन इस प्रकार परियोजना में कुल 16.811 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 5.7896 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 22.6006 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 499 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over on 45.21 ha. degraded forest land ha. in 0.4096 ha. Range-Bidhuna, District Auraiya, 1.824 ha. Range-Derapur, District-Kanpur Dehat, 34.48 ha. Range-Shankargarh, District-Prayagraj, 4.84 ha. Range-Bindaki, District-Fatehpur, 1.024 ha. Range-Bilhaur, District-Kanpur, 2.83 ha. Range-Kishni Range, District-Mainpuri at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. Plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in ROW under Transmission line shall be taken up by Forest Department at the cost of user agency.
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

5. User agency shall restrict the felling of trees to 499 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

6. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.

7. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.

8. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

9. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

10. No labour camp shall be established on the forest land.

11. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

12. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

13. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

15. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

16. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

17. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.

18. Project Completion Report and Stage-II compliance report shall be submitted within a period of 6 months of completion of project.

19. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के0)

प्रतिलिपि (ई–मेल द्वारा) :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
4. प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, वन प्रभाग, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया एवं मैनपुरी, उ0 प्र0।
5. महाप्रबन्धक, साउथ ईस्ट, यू0पी0पी0टी0सी0एल0, छठा तल, शालीमार टाईटेनियम, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ0 प्र0।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

24/09/2022

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के0)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक– 3065 /15–1 दिनांक, प्रयागराज, 19 ~~फरवरी~~ मार्च, 2025।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

Adl.S.O.
APCCF Nodal
04/04/25

ऑनलाइन प्रस्ताव सं0–FP/UP/TRANS/155138/2015

विषयः– **765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य में कानपुर नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 एवं 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.8064 हे0 एवं 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज (इलाहाबाद) वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.4288 हे0 एवं आरक्षित वन भूमि 14.4106 हे0 तथा 2460 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित आरक्षित वन भूमि 1.3685 हे0 तथा संरक्षित वन भूमि 0.3456 हे0 अर्थात कुल प्रभावित वन भूमि 1.7141 हे0 एवं 220 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 1.4145 हे0 एवं 16 वृक्षों के पातन एवं फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 2.1504 हे0 व 67 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 5.4913 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 15.7791 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 21.2704 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 2818 वृक्षों के पातन के अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1025/11–सी–FP/UP/TRANS/155138/2015, दिनांक–15.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रयागराज वन प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व में चयनित 39.8038 हे0 अवनत वन भूमि के स्थान पर आवश्यक 42.5408 हे0 अवनत वन भूमि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख **(KML File, जियो रेफरेन्स डिजिटल मैप, टोपो शीट, CA का प्राक्कलन, भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र, CA चेकलिस्ट, फार्म–क का भाग–2 एवं DSS Analysis रिपोर्ट)** परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संशोधित प्रस्ताव आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण में प्रभावित वन भूमि 21.2704 हे0 **(15.7791 हे0 RF + 5.4913 हे0 PF)** के दो गुने अर्थात 42.5408 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराने हेतु मेजा रेंज के अन्तर्गत बेधीपट्टी वन ब्लाक में **(सकल क्षे0 30 हे0, शुद्ध क्षे0 25 हे0)** तथा कोरांव रेंज के अन्तर्गत बसहरा वन ब्लाक **(सकल क्षे0 12 हे0, शुद्ध क्षे0 10 हे0)** तथा बेलहट वन ब्लाक में **(सकल क्षे0 8.75 हे0, शुद्ध क्षे0 7.5408 हे0)** का चयन किया गया है। **CA हेतु प्रस्तावित अवनत वन भूमि बेधीपट्टी वन ब्लाक के समीप एक सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित है, जो कि पूर्ण रूप से गैर वन भूमि (NFL) पर स्थित है।**

R.O. Meja

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयागराज
सा0वा0 वन प्रभाग-प्रयागराज

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–प्रयागराज अन्तर्गत साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किट–1 मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन के निर्माण में कानपुर देहात वन प्रभाग (0.8064 हे0), कानपुर नगर वन प्रभाग (0.3456 हे0), प्रयागराज वन प्रभाग (14.8394 हे0), मैनपुरी वन प्रभाग में (1.4145 हे0), औरैया वन प्रभाग (1.7141 हे0) तथा फतेहपुर वन प्रभाग (2.1504 हे0) कुल प्रभावित वन भूमि 21.2704 हे0 **(15.7791 हे0 RF + 5.4913 हे0 PF)** के दो गुने अर्थात 42.5408 हे0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराने हेतु अवनत वन भूमि प्रयागराज वन प्रभाग के कोरांव रेंज के बसहरा वन ब्लाक **(सकल क्षे0 12 हे0, शुद्ध क्षे0 10 हे0)** एवं बेलहट वन ब्लाक **(सकल क्षे0 8.75 हे0, शुद्ध क्षे0 7.5408 हे0)** तथा मेजा रेंज के अन्तर्गत बेधीपट्टी वन ब्लाक **(सकल क्षे0 30 हे0, शुद्ध क्षे0 25 हे0)** को चिन्हित किया गया है। चिन्हित अवनत वन भूमि प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त तथा अतिक्रमण व अधिभार से मुक्त है।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

R.O. Soreyar

R.O. Koraw

उप प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयागराज
सा0वा0 वन प्रभाग-प्रयागराज

DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव सं0–FP/UP/TRANS/155338/2015 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयागराज वन प्रभाग के कोरांव रेंज के अन्तर्गत बसहरा वन ब्लाक **(सकल क्षे0 12 हे0, शुद्ध क्षे0 10 हे0)** एवं बेलहट वन ब्लाक **(सकल क्षे0 8.75 हे0, शुद्ध क्षे0 7.5408 हे0)** तथा मेजा रेंज के अन्तर्गत बेधीपट्टी वन ब्लाक **(सकल क्षे0 30 हे0, शुद्ध क्षे0 25 हे0)** का DSS Analysis कराया गया। DSS Analysis की रिपोर्ट के अनुसार बेलहट वन ब्लाक की उक्त वन भूमि को बेलहट फॉरेस्ट ब्लाक की सीमा से बाहर होने का उल्लेख किया गया है, जबकि क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोरांव द्वारा उक्त वन भूमि को बेलहट आरक्षित वन भूमि के पिलर सं0–16, 17 व 18 के अन्दर होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। DSS Analysis तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोरांव के रिपोर्ट/सूचना की प्रति संलग्न है।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोरांव रेंज।

पत्रांक– 106 /15–1 दिनांक, कोरांव, जनवरी, 24, 2025।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

विषयः– जनपद–प्रयागराज में प्रस्तावित 765 के0वी0 मैनपुरी–बारा–सर्किट–1 के निर्माण में (आरक्षित एव संरक्षित) 21.2704 के दो गुने अर्थात 42.5408 हे0 के सापेक्ष कोरांव रेंज के अन्तर्गत बसहरा में (सकल 12 हे0 शुद्ध 10 हे0) व बेलहट में (सकल 8.75 हे0 शुद्ध 7.5408 हे0) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–2187 / 15–1, दिनांक– 20–01–2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्राप्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद–प्रयागराज के तहसील मेजा / वन रेंज कोरांव अन्तर्गत स्थित वन ब्लाक बसहरा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु उपलब्ध करायी गयी अवनत वन भूमि (सकल 12 हे0 शुद्ध 10 हे0) आरक्षित वन भूमि है, एवं तहसील / वन रेंज कोरांव अन्तर्गत वन ब्लाक बेलहट में उपलब्ध करायी गयी अवनत वन भूमि **(सकल 8.75 हे0 शुद्ध 7.5408 हे0)** आरक्षित वन भूमि है, जो पिलर सं0–16, 17 व 18 के अन्दर स्थित है उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्र पूर्ण रूप से आरक्षित वन भूमि है।

भवदीय,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कोरांव रेंज, प्रयागराज।

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), उ0प्र0, लखनऊ।

(वेबसाईट–www.upforest.gov.in. ई मेल–apccfit-up@nic.in. फोन न0–0522–2716619)

पत्रांक– 191 / 12–42–2 (जी0आई0एस0), लखनऊ, दिनांक, दिसम्बर, 19 2024

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

विषय– **प्रयागराज वन प्रभाग के कोरॉव रेंज के अन्तर्गत वन ब्लाक बसहरा के 12.00 हे0 तथा वन ब्लाक बेलहट के 8.75 हे0 कुल 20.75 हे0 अवनत वन भूमि के सापेक्ष 17.5408 हे0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु DSS Analysis कराने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक–1781/15–1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 13, 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक् संदर्भित पत्र के क्रम में DSS Analysis के लिए प्रेषित जिओ कोआर्डिनेट/पॉलिगान के विश्लेषण फलस्वरूप उपरोक्त पॉलिगान का निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

State- Uttar Pradesh

Analysis on the basis of Decision Rule-1 on DSS Portal for proposal for Diversion of 17.5408 ha of Prayagraj Social Forest Division

Sl No.	Range	CA_Land _Name	Net Area_ Ha	Net GIS Area_ Ha	Hydrological Layer ((The polygon does not touch any major river, Wetland or Water Body)	VDF (>1sq km) (The polygon is not having a VDF of more than 1 sq. km area)	Last Remnant of FTM (<50 sq. km) (The polygon is not having a rare forest type)	Protected Area (The polygon does not touch any Protected Area)	Wild life Habitat (The polygon does not touch any Wildlife Habitat.)	Overlapping on Previous Plantation The Polygon not touch any previous year plantation	Outside Forest Block Boundary Status	Conclusion
1	Koraon	Meja Forest Block	10.00	11.97	No	Open Forest (10-40)%	No	No	No	No	No	Not Inviolate
2 .	Koraon	Belhat Forest Block	7.5408	-	No	-	No	No	No	No	Yes	Inviolate
Total Area												

* As per the requisition portal total given area is 17.5408 Hac. & after analysis Open Forest area (10-40)% is 11.97 Hac.

संलग्नकः–मानचित्र एवं विवरण जी0आई0एस0 104678 के सापेक्ष पोर्टल पर अपलोड।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

DSS ANALYSIS MAP OF PROPOSED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND FOR PLANTATION IN MEJA FOREST BLOCK OF KORAON RANGE,PRAYAGRAJ SOCIAL FORESTRY DIVISION, UTTAR PRADESH

Satellite Image LISS-IV - Apr,2024

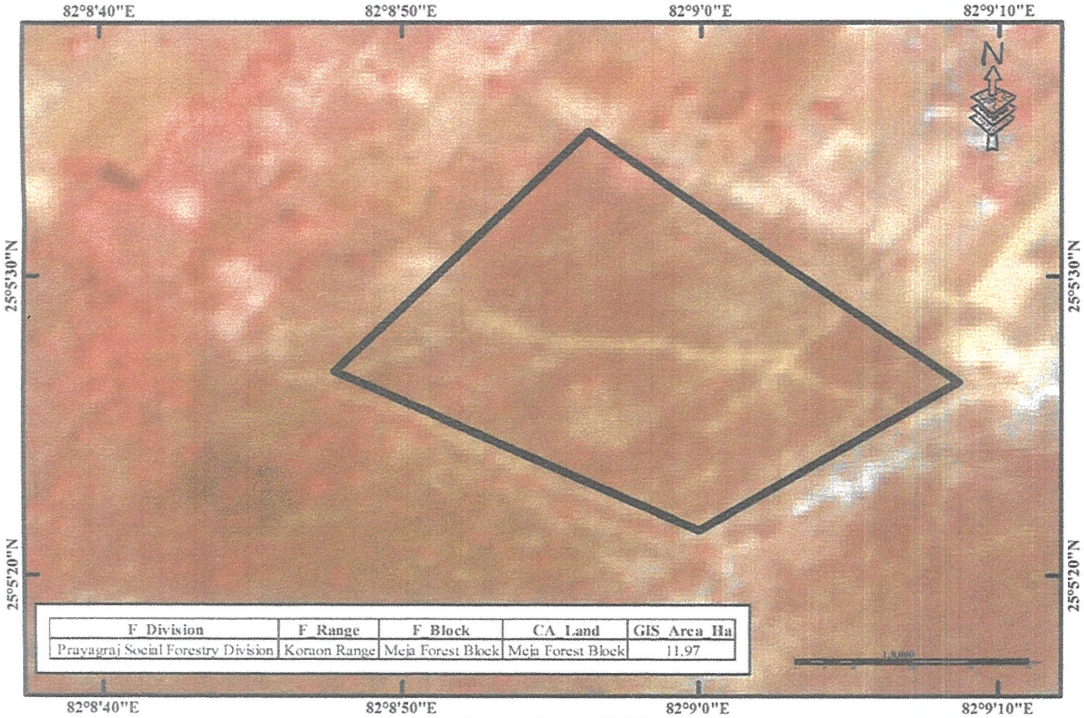

F_Division	F_Range	F_Block	CA_Land	GIS_Area_Ha
Prayagraj Social Forestry Division	Koraon Range	Meja Forest Block	Meja Forest Block	11.97

Google Satellite Image

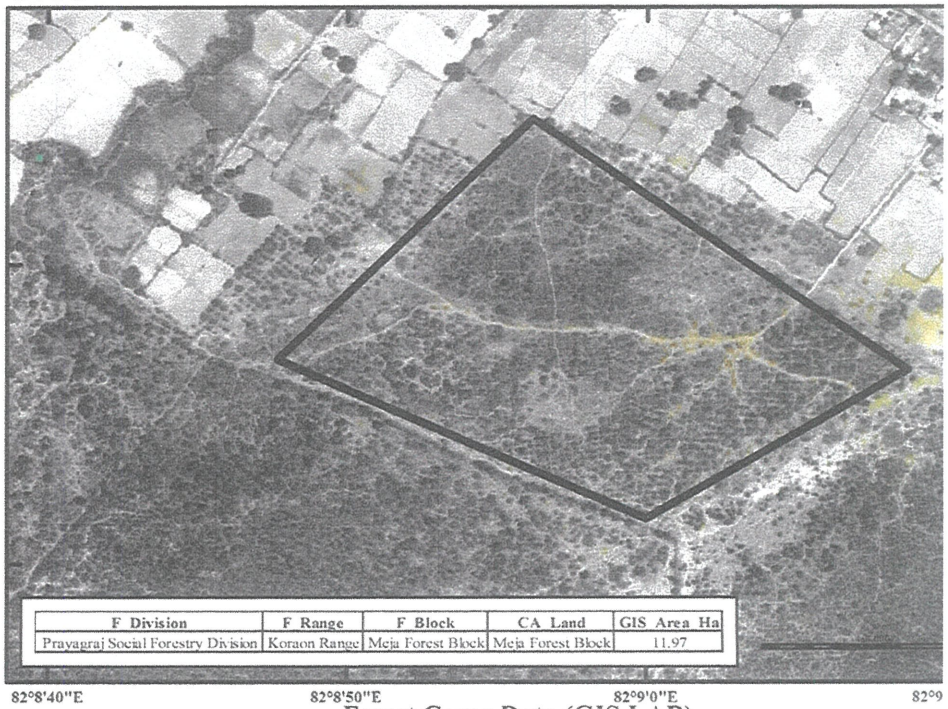

F_Division	F_Range	F_Block	CA_Land	GIS_Area_Ha
Prayagraj Social Forestry Division	Koraon Range	Meja Forest Block	Meja Forest Block	11.97

Forest Cover Data (FSI)

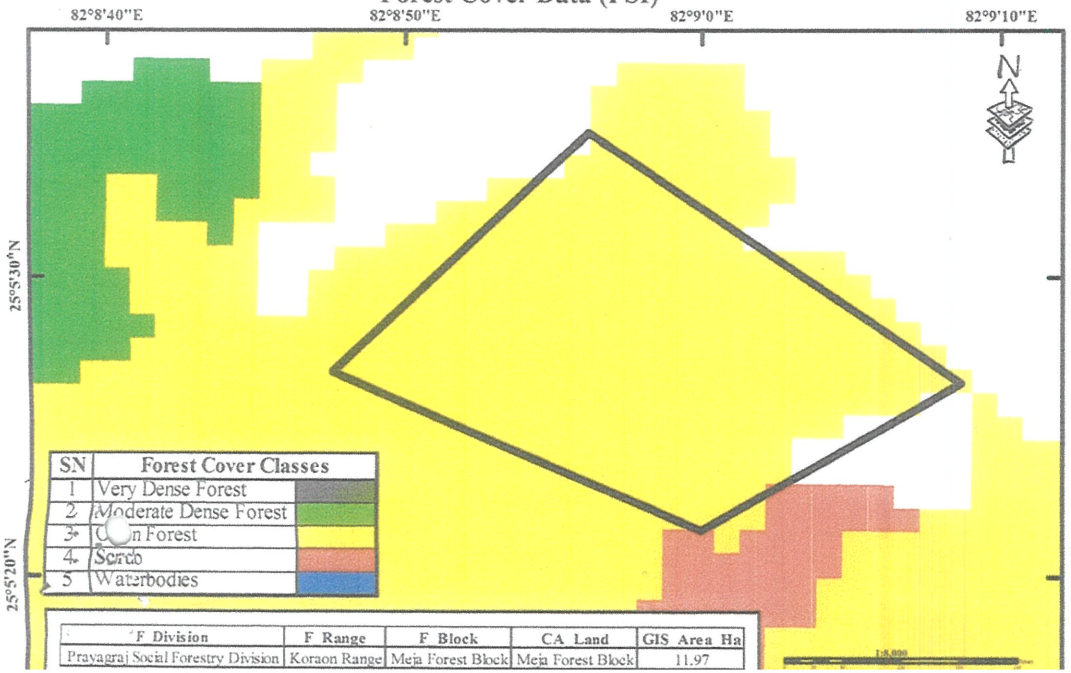

SN	Forest Cover Classes
1	Very Dense Forest
2	Moderate Dense Forest
3	Open Forest
4	Scrub
5	Waterbodies

F_Division	F_Range	F_Block	CA_Land	GIS_Area_Ha
Prayagraj Social Forestry Division	Koraon Range	Meja Forest Block	Meja Forest Block	11.97

Forest Cover Data (GIS LAB)

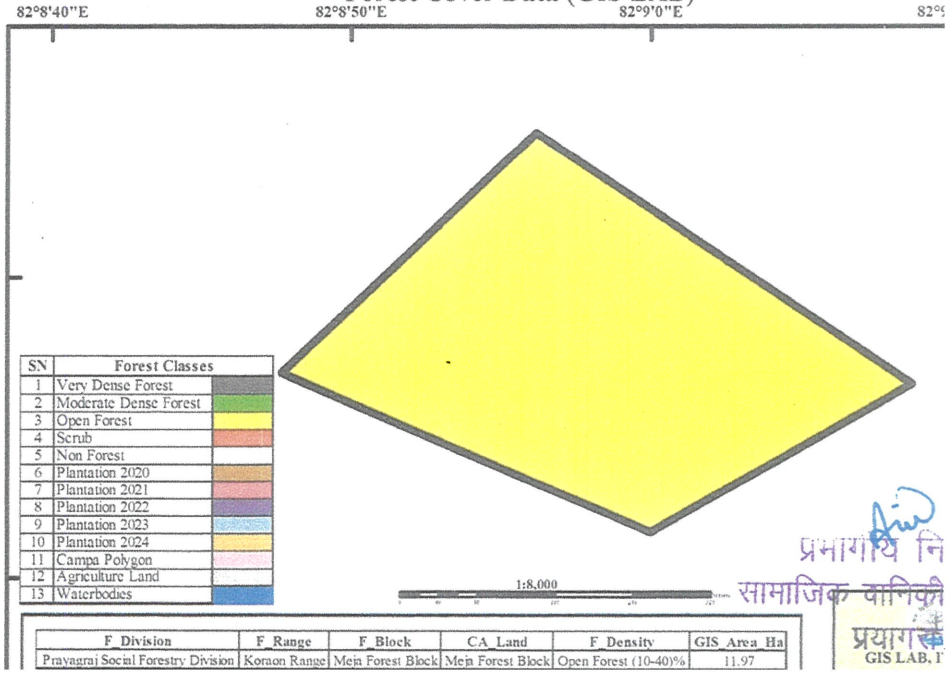

SN	Forest Classes
1	Very Dense Forest
2	Moderate Dense Forest
3	Open Forest
4	Scrub
5	Non Forest
6	Plantation 2020
7	Plantation 2021
8	Plantation 2022
9	Plantation 2023
10	Plantation 2024
11	Campa Polygon
12	Agriculture Land
13	Waterbodies

F_Division	F_Range	F_Block	CA_Land	F_Density	GIS_Area_Ha
Prayagraj Social Forestry Division	Koraon Range	Meja Forest Block	Meja Forest Block	Open Forest (10-40)%	11.97

प्रभागीय नि
सामाजिक वानिकी
प्रयागरा
GIS LAB, I

REFERENCE MAP OF PROPOSED COMPENSETORY AFFORESTATION (CA) PLANTATION IN FOREST LAND
POSAL NO. FP/UP/TRANS/15538/2015 FOR 765kV S/C MAINPURI – BARA TRANS. LINE CKT–1,
FOREST RANGE – MEJA, PRAYAGRAJ.
FOREST BLOCK – BEDHIPATTI, SECTION–BEDHIPATTI, MEJA

sed = 25.0 Ha
al = 30.0 Ha

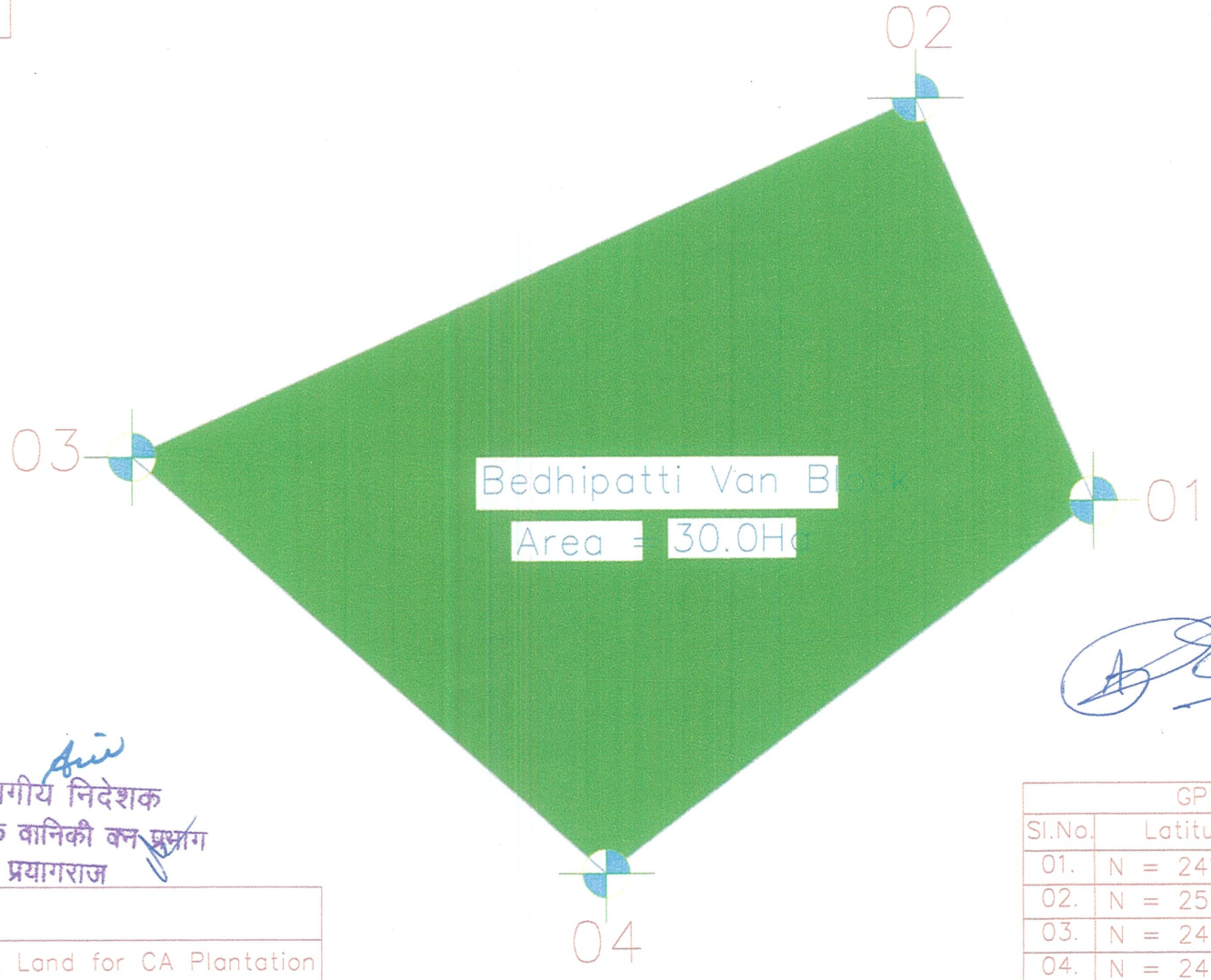

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. LUCKNOW

GPS Coordinate
Proposed Forest Land for CA Plantation

GPS COORDINATES		
Sl.No.	Latitude	Longitude
01.	N = 24°59'52.08"	E = 82°09'53.5"
02.	N = 25°00'04.5"	E = 82°09'47.09"
03.	N = 24°59'54.4"	E = 82°09'22.7"
04.	N = 24°59'42.02"	E = 82°09'37.08"

C REFERENCE MAP OF PROPOSED COMPENSETORY AFFORESTATION (CA) PLANTATION IN FOREST LAND
OPOSAL NO. FP/UP/TRANS/15538/2015 FOR 765kV S/C MAINPURI – BARA TRANS. LINE CKT-1
FOREST RANGE – KORAON, PRAYAGRAJ.
FOREST BLOCK – BELHAT, SECTION–BELHAT, KORAON

osed = 7.5408 Ha
otal = 8.7500 Ha

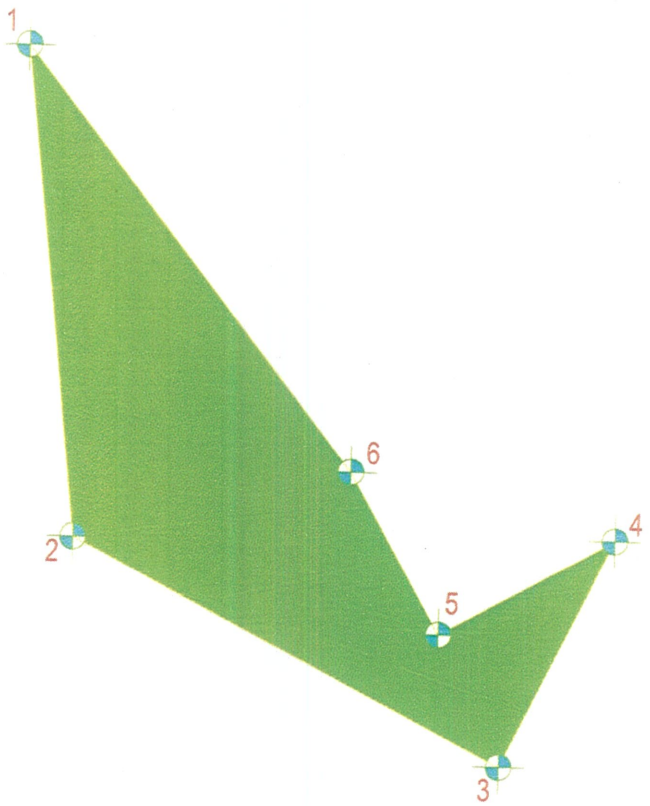

GPS Coordinate

Proposed Forest Land for CA Plantation

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज

GPS COORDINATES		
Sl.No.	Latitude	Longitude
01.	25° 3'45.52"N	82° 7'12.02"E
02.	25° 3'32.36"N	82° 7'13.71"E
03.	25° 3'26.43"N	82° 7'26.26"E
04.	25° 3'32.34"N	82° 7'29.32"E
05.	25° 3'29.97"N	82° 7'24.45"E
06.	25° 3'34.24"N	82° 7'21.75"E

REFERENCE MAP OF PROPOSED COMPENSETORY AFFORESTATION (CA) PLANTATION IN FOREST LAND
DIVERSION NO. FP UP TRANS 15538 2015 FOR 765KV S/C MAINPURI – BARA TRANS. LINE CKT-1
FOREST RANGE – KORAON, PRAYAGRAJ
FOREST BLOCK – BASAHRA, SECTION–BASAHRA, KORAON

sed = 10.0000 Ha
al = 12.0000Ha

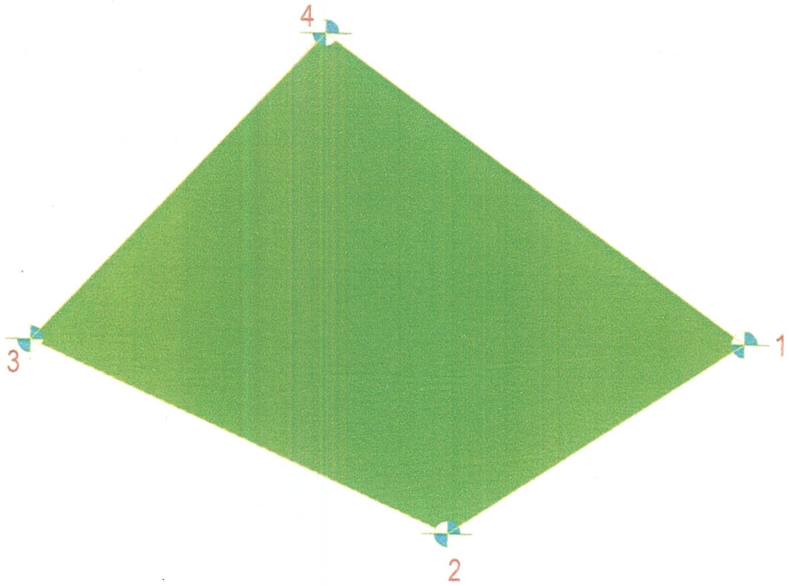

GPS Coordinate

Proposed Forest Land for CA Plantation

प्रभागीय निदेशक
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
शंकरगढ़ रेंज
प्रयागराज

GPS COORDINATES		
S.No.	Latitude	Longitude
01.	25° 5'26.69"N	82° 9'8.67"E
02.	25° 5'21.60"N	82° 9'0.06"E
03.	25° 5'26.72"N	82° 8'47.57"E
04.	25° 5'34.91"N	82° 8'56.21"E

जनपद–प्रयागराज में साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 सिंगल सर्किट–1 ((CT:1) मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन के निर्माण में कानपुर नगर वन प्रभाग (0.3456 हे0), कानपुर देहात वन प्रभाग (0.8064 हे0), प्रयागराज वन प्रभाग (14.8394 हे0)=(14.4106 हे0 आरक्षित वन +0.4288 हे0 संरक्षित वन), औरेया वन प्रभाग (1.7141 हे0) = (0.3456 हे0 संरक्षित वन + 1.3685 हे0 आरक्षित वन), मैनपुरी वन प्रभाग (1.4145 हे0) तथा फतेहपुर वन प्रभाग (2.1504 हे0) कुल 21.2704 हे0 प्रभावित हो रही वन भूमि के दो गुने अर्थात 21.2704×2=42.5408 हे0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि प्रयागराज वन प्रभाग के अन्तर्गत कोरांव रेंज के बसहरा वन ब्लाक (10 हे0), बेलहट वन ब्लाक (7.5408 हे0) तथा मेजा रेंज के बेधीपट्टी वन ब्लाक (25.00 हे0) कुल 42.5408 हे0 को चिन्हित किया गया है। चिन्हित अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं आगामी 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन निम्नानुसार है–

भूमि का प्रकार– पठारी			गड्ढों की संख्या– 8508			
प्रस्तावित क्षे0–42.5408 हे0			बोना नाली की संख्या– 12762			
क0 सं0	वन संरक्षक की अनुसूचित दर आइटम संख्या	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	3.1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति हे0	42.5408	52.70	2241.90
2	3.3 ब	क्षेत्र की सफाई	प्रति हे0	42.5408	346.20	14727.62
3		निशानदेही				
	3.4 ब	क–गड्ढे	प्रति गड्ढा	8508	0.43	3624.41
	3.4 अ	ख–नाली	प्रति ट्रेच	12762	1.48	18887.76
4		अग्रिम मृदा कार्य				
	4.1 ब.2	नाली का खुदान (3.00 X 0.60 X 0.45) मी0 श्रमिकों द्वारा	प्रति ट्रेच	12762	92.30	1177932.60
	4.2 ब.1	गड्ढा खुदान पठारी भूमि (45 X 45 X 45) सेमी0	प्रति गड्ढा	8508	10.40	88483.20
5	10.4 ब	पत्थर की दीवाल का निर्माण नीचे की चौड़ाई–1.20 मी0 ऊपर की चौड़ाई–0.80 मी0 एवं ऊंचाई–1.00 मी0	प्र0 र0 मी0	6381	340.50	2172730.50
	10.4 द	पत्थर की दीवाल पर 0.10 मी0 मिट्टी चढाना जिसका टाप 0.80 मी0 हो	प्र0 र0 मी0	6381	4.40	28076.40
6		अन्य व्यय	प्रति हे0	42.5408	1100.00	46794.88
		योगः–				**3553499.27**
		या				**3553499.00**
		वृक्षारोपण कार्य				
1	6.1	गड्ढा भरान कार्य	प्रति गढ्ढा	8508	0.85	7231.80
2	8.7अ	गोबर की खाद का क्रय मय ढुलान सहित प्रति गड्ढा	प्रति गढ्ढा	8508	4.99	42454.92
3	8.7ब	जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट)	प्रति गढ्ढा	8508	5.55	47219.40
4	8.3	बोना नालियों में बीज बुआई हेतु बीज पर व्यय	प्र0.बो0ना0	12762	8.40	107200.80
5	6.3	बोना नाली की दरेशी	प्र0.बो0ना0	12762	3.50	44667.00
6	8.1	बोना नालियों मे बीज बुआन कार्य (दो लाइन	प्र0.बो0ना0	12762	2.10	26800.20
7	7.1अ	ट्रैक्टर द्वारा पौधों का ढुलान कार्य लदाई उतराई सहित – अतिरिक्त 5%	प्रति पौध	8508	17.30	147188.40
8	8. 4	पौधों की कीमत	प्रति पौध	8508	80.00	680640.00
9	7.5अ	पौधों का स्थानीय ढुलान कार्य	प्रति पौध	8508	5.40	45943.20
10	8.5 अ	पौध रोपण कार्य	प्रति पौध	8508	14.00	119112.00
11	8.10	थावला बनाना 1.20 मी0 व्यास (नव निर्माण)	प्रति थावला	8508	2.40	20419.20
12	14.7	पौधों की सिंचाई 8 बार (8508×8)	प्रति पौध	68064	3.50	238224.00
13	8.7द	कीटनाशक/रासायनिक खाद/दीमक रोधक क्रय व छिड़काव	प्रति पौध	46794	1.20	56152.80
14	3. 3 1	रोपण वर्ष में पौधों की लाइन में एक मी0 चौड़ाई में घास कटाई	प्रति हे0	42.5408	851.00	36202.22

क0 सं0	वन संरक्षक की अनुसूचित दर आइटम संख्या	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
15	9.1–1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य तीन बार (प्रथम निराई जुलाई/अगस्त, द्वितीय निराई सितम्बर से नवम्बर के मध्य एवं तृतीय शीतकालीन में (दर प्रति बार)	प्रति पौध	25524	1.20	30628.80
16	9.1–2	ट्रेन्चों की निराई गुड़ाई कार्य तीन बार (प्रथम निराई जुलाई/अगस्त, द्वितीय निराई सितम्बर से नवम्बर के मध्य एवं तृतीय शीतकालीन में (दर प्रति बार)	प्र0.बो0ना0	38286	3.30	126343.80
17		वृक्षारोपण की देख रेख हेतु श्रमिक (26×9×4)	प्रति दिन	936	201.00	188136.00
18	11	वृक्षारोपण बोर्ड की बनवाई व लिखाई साइज (4.00x3.00) फिट	प्रति बोर्ड	4	6000.00	24000.00
19	10.4 ल	ड्राई चैक डैम का निर्माण	प्र0घ0मी0	4000	302.20	1208800.00
20	19.1	झोपड़ी निर्माण	प्र0झोपड़ी	4	11149.10	44596.40
21	11.4	अन्य व्यय	प्र0हे0	42.5408	1100.00	46794.88
		योग				3288755.82
		या				3288756.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि के आगणन का सारांश

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे0 में)	दर प्रति हे0 (रू0 में)	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि (रू0में)	द्वितीय चरण/ वर्ष से 10% महँगाई दर के आधार पर गुणांक	धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अग्रिम मृदा कार्य	42.5408	0.00	3553499.00	1	3553499.00
2	वृक्षारोपण कार्य	42.5408	0.00	3288756.00	1.1	3617631.60
3	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	17900.00	761480.32	1.21	921391.19
4	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	42.5408	18209.00	774625.43	1.331	1031026.44
5	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	42.5408	19097.00	812401.66	1.4641	1189437.27
6	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	42.5408	7738.00	329180.71	1.6105	530145.53
7	पंचम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	9825.00	417963.36	1.7716	740463.89
8	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	6795.00	289064.74	1.9488	563329.36
9	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	6795.00	289064.74	2.1437	619668.07
10	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	1548.00	65853.16	2.3581	155288.33
11	नवम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	1548.00	65853.16	2.5939	170816.51
12	दशम वर्ष अनुरक्षण	42.5408	1548.00	65853.16	2.8533	187898.82
		सम्पूर्ण योग				13280596.01
		या				13280596.00

R.O. Mega

R.O. Koran

उप प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयागराज
सा0वा0 वन प्रभाग-प्रयागराज

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी ।
पत्रॉक 866 /14–1 मैनपुरी :दिनॉक:अक्टूबर – 04 – ,2024

सेवा में,

वन संरक्षक
आगरा वृत्त आगरा ।

विषयः– 765 के0वी0सिंगल सर्किट मैनपुरी–बरा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुरनगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.415 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरेया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात 19.9019 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2818 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्वन्ध में ।

सन्दर्भः– कार्या0 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पं0 8बी / यू0पी0 / 04 / 05 / 2024 / एफ0सी0 / 112 दिनॉक 27–8–2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ ने सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव पर आपत्तियॉ लगाई गई है। जिस पर मैनपुरी प्रभाग से सम्वन्धित आपत्ति का निस्तारण कर आख्या आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

क0 सं0	अपेक्षित आख्या	निराकरण
1	As per the DSS, some parts of the forest block area in the KML file at Mainpuri, Auraiya and Kanpur Dehat district have been demarcated as Non- forest land. Thus, the rectified and revised KML file along with all related document on the PARIVESH portal.	दिये गये निर्देशानुसार KML file संशोधित कर दी गयी है । कही कही प्रस्तावित पारेषण लाइन वनभूमि के समीप गैर वनभूमि भी से गुजर रहीं है जिस कारण वह भूमि वनभूमि के रूप में प्रदर्शित हो रही है ।

भवदीय

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

पत्रॉक / दिनॉकित

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

new land trans

TRANSMISSION CO. LTD.

SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
409, Fourth Floor, Shalimar Titanium
Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- info@seupptcl.com;

PROPOSAL NO. - FP/UP/TRANS/15538/2015

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है की उपर्युक्त प्रस्ताव में 765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में जनपद मैनपुरी में प्रभावित सरक्षित वन भूमि 1.4145 हे० है यदि इसको दशमलव के बाद तीन डिजिट में व्यक्त करते है तो इसको 1.415 हे० संज्ञान में लिया जा सकता है ।

महाप्रबधक
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

South East U.P. Power Transmission Co. LUCKNOW

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एल० मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी, मैनपुरी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।

पत्रांक: 957 /14–1 दिनांक:औरैया:अक्टूबर, 24, ,2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय : 765 के० वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी - बारा पारेषण लाइन सर्किट -1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित व 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे० वन भूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन , औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा एवं फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित । 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात कुल 19.9019 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 2818 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में

प्रस्ताव सं0– **FP/UP/TRANS/15538/2015**

सन्दर्भ : उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय) का पत्रांक 8बी / यू० पी०/ 04 / 05 / 2024/ ऍफ़० सी० / 112, दिनांक 27.08.2024 एवं आपकी पत्र संख्या 571/11-सी-एफपी / यूपी / ट्रान्स/ 15538 / 2015 दिनांक 28.08.2024

महोदय ,

उपर्युक्त पत्रांक का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमे प्रस्ताव संख्या FP/UP/TRANS/15538/2015 में विभिन्न स्तर पर कमियों / अभिलेखों की अपेक्षित आख्या माँगी गयी है जिसका विंदुवार निराकरण / संभावित निराकरण निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	अपेक्षित आख्या	निराकरण
01.	The revised .kml file of the complete route depicting Forest land as well as non-forest land needs to be uploaded on PARIVESH portal since the area in .kml filr of proposed diversion area is 20.6763ha and the area proposed for diversion is 19.9019ha which is not matching.	The revised kml file after rectification has been uploaded on Parivesh portal.
02.	As per the DSS, some parts of the forest block area in the KML file at Mainpuri, Auraiya and Kanpur Dehat districts have been demarcated as Non- forest land. Thus, the rectified and revised KML file along with all related documents of the area proposed for diversion needs to be uploaded on the PARIVESH portal.	The revised kml file and related documents after rectification have been uploaded on Parivesh portal.
03.	The KML file of the alternate routes with demarcation of forest and non-forest area needs to be uploaded on the portal.	The KML file of the alternate routes with demarcation of forest and non-forest area uploaded by User agency
04.	A Solar power plant is visible in Google earth imageryclose to the area proposed for CA in Meja Range. The concerned DFO needs to provide the	The reply will be submitted and uploaded on PARIVESH portal by DFO, Prayagraj.

05.	Approval details of existing Transmission line close to the proposed Transmission line needs to be submitted.	The approval of existing transmission line has been uploaded on PARIVESH portal by user agency
06.	Divisional Forest Officer (DFO) Kanpur Dehat to re-inspect the area proposed for diversion as it seems that some part of PF area is undervalued.	-

भवदीय

(राकेश कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांकः– 957/ समदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest Land to be Diverted under FCA-1980)

A proposal has been received by this office from Group Head - South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. Lucknow for diversion (under FCA-1980) of 1.7141 Ha forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of protected forest land to be diverted for construction of 765kv S/C Mainpuri - Bara ckt-1 transmission line.

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date 12/09/2024

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is 0.3456 Ha protected forest and 1.3685 Ha reserve forest total measuring area **1.7141 Ha.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 of part-1 in unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare endangered / unique species of fauna and flora found in the area. If so, the details thereof. **NIL**

Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monument is located in the area, if so, the details thereof with NOC from competent authority, if required. **NIL**

a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. YES
b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **NO**

Recommendations for acceptance of the proposal.

Divisional Forest Officer
Auraiya

Place Auraiya.....
Date 12/09/2024.

(Proposal No. – FP/UP/TRANS/15538/2015)

नेट प्रेजेंट वैल्यू (N.P.V.)की गणना

मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 दिनांक 05-02-2009 के अनुसार 765 के० वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी - बारा सर्किट -1 पारेषण लाइन के निर्माण हेतु औरैया वन प्रभाग के अंतर्गत 0.3456 हे० संरक्षित एवं 1.3685 हे० आरक्षित कुल 1.7141 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है । प्रभावित होने वाली संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि का विवरण एवं N.P.V. की गणना निम्न प्रकार है -

स्थान का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल हे० में	इको क्लास	घनत्व	प्रति हे० वैल्यू रूपये में	कुल वैल्यू रूपये में
1	2	3	4	5	6	7
Bela to Dibiyapur - 38-6_38-7	संरक्षित	0.1024	III	0.00	9,57,780.00	98076.67
Bidhuna to Kudrakot Road - 34_35	संरक्षित	0.2432	III	0.00	9,57,780.00	232932.1
Rathgaon Van Block - AP33/2-AP33/4	आरक्षित	0.1052	III	0.00	9,57,780.00	100758.5
Samayan Van Block - AP32/2-AP32A/0	आरक्षित	0.5715	III	0.00	9,57,780.00	547371.3
Samayan Van Block - AP32/1-AP32/2	आरक्षित	0.3337	III	0.00	9,57,780.00	319611.2
Rathgaon Van Block - AP33/1-AP33/2	आरक्षित	0.0912	III	0.00	9,57,780.00	87349.54
Ingura Van Block - AP41B/5 - 41B/6	आरक्षित	0.2669	III	0.00	9,57,780.00	255631.5
कुल योग		**1.7141**				1641730.69
पूर्णांक (रूपये सोलह लाख इकतालीस हज़ार सात सौ इकतीस)						**1641731**

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. LUCKNOW

अनुराग शुक्ला
ग्रुप हेड
साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड.

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी औरैया वन प्रभाग, औरैया

765 के० वी० मैनपुरी - बारा सर्किट -1 पारेषण लाइन के नीचे प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित व
1.3685 हे० आरक्षित अर्थात कुल 1.7141 हे०वन भूमि पर औषधीय / बौने पौधों के रोपण हेतु प्रस्तावित व्यय का प्राक्कलन

क्रम	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई प्रति	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	1.7141	हे०	71.4	122.39
2	मृदा परीक्षण 5 हे० में एक	1	सं०	478.4	478.40
3	क्षेत्र की सफाई	1.7141	हे०	4843	8301.39
4	गड्ढों का पंक्ति बंधन	4286	सं०	0.5	2143.00
5	गड्ढा खुदान ऊसर भूमि ट्रेक्टर द्वारा अर्थ आगर खुदान	4286	सं०	19.3	82719.80
6	जिप्सम का मूल्य, ढुलान, लदवाई व उतराई सहित	4286	गड्ढा	7.22	30944.92
7	प्लास्टिक पाइप - 1"	605	प्रति मी०	63	38115.00
8	आर० सी० सी० के खम्बों का मूल्य कर सहित (0.4 मी० दूरी)	170	पोल	404	68680.00
9	फेंसिंग हेतु कंटीले तार का क्रय (5 लड़ी)	1.2	मेट्रिक टन	84892	101870.40
10	विडिओ ग्राफी, फोटोग्राफी अन्य व आकस्मिक व्यय (3 प्रतिशत)	लगभग	लगभग	लगभग	4400.64
11	नहर पटरी पर खर पतवार मूज घास आदि को रूट आउट करने पर व्यय जे० सी० बी० द्वारा	5	घंटे	900	4500.00
	योग				342275.93
	द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य				
1	गड्ढों में कीटनाशक दवा, जिप्सम, खाद व बालू मिलाकर गड्ढा भरान	4286	पौध	2.45	10500.70
2	गोबर के खाद के आपूर्ति चट्टबंदी सहित प्रति घन मीटर	4286	गड्ढा	12.5	53575.00
3	कीटनाशक दवा का क्रय तथा मिलाना	4286	पौध	0.65	2785.90
4	पौध का मूल्य (5 प्रतिशत अतिरिक्त)	4500	पौध	100	450000.00
5	पौधों का रोपण स्थल तक ढुलान (20 से 30 किमी०)	4500	पौध	5.67	25515.00
6	पौधों का स्थानीय ढुलान	4286	पौध	0.79	3385.94
7	पौधा रोपण सिंचाई व घावला बनवाई	4286	पौध	4.87	20872.82
8	रोपण के बाद पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग एक बार प्रथम अक्टूबर दिसम्बर एवं द्वितीय फ़रवरी में	4286	पौध	1.47	6300.42
9	पौधों की सिंचाई तीन बार	12858	पौध	6.8	87434.40
10	आर० सी० खम्भों की ग्राउटिंग (1:6) सीमेंट कंक्रीट	170	प्रति खम्भा	257.68	43805.60
11	खम्बों का स्थानीय ढुलान	170	प्रति खम्भा	4.33	736.10
12	तार की खिंचाई	2000	प्रति मी०	1.12	2240.00
13	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय - जुलाई से मार्च तक कुल एक बार	270	प्रति मानव दिवस	237	63990.00
14	वृक्षारोपण बोर्ड की बनवाई व लिखाई	1	लगभग	4587	4587.00
15	अन्य व्यय ०२ प्रतिशत औज़ारों की मरम्मत	लगभग	लगभग	लगभग	2277.46
	योग				778006.34
16	महगाई व मुद्रा स्फीति कुल व्यय का 10 प्रतिशत			अनुमानित	77800.63
	कुल योग				855806.97
	तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वीटिंग अप)				
1	पौधों की निराई गुड़ाई आदि रोपित पौधों में अप्रैल से मार्च तक तीन बार	12858	गड्ढा	1.47	18901.26
2	पौधों की सिंचाई अप्रैल से मार्च तक नौ बार	38574	गड्ढा	6.8	262303.20
3	तार फेंसिंग मरम्मत	1	लगभग	108.8	108.80
4	रासायनिक उर्वरक, कीट नाशक का प्रयोग मूल्य	1.7141	हे०	600	1028.46
5	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	8000	8000.00
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	365	प्रति मानव दिवस	237	86505.00
7	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	3000	3000.00
	योग				379846.72
8	20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				75969.34
	कुल योग				455816.06
	चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	8572	पौध	1.47	12600.84
2	पौधों की सिंचाई अप्रैल से मार्च तक अट्ठारह बार	77148	पौध	6.8	524606.40
3	मृत पौधों के स्थान पर पुनः ८ फ़ीट से अधिक ऊँचाई की पौध का १० प्रतिशत बदलना (५ प्रतिशत अतिरिक्त)	450	पौध	100	45000.00
4	पौधों का ढुलान (१किमी ० - २० किमी०) (५ प्रतिशत अतिरिक्त)	450	पौध	4.04	1818.00
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	428	पौध	0.35	149.80
6	पौधा रोपण एवं तुरंत सिंचाई	428	पौध	5.63	2409.64
7	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	312	प्रति मानव दिवस	237	73944.00
8	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
9	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	6000	6000.00
	योग				668528.68
10	30 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				200558.60
	योग				869087.28
	पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	8572	पौध	1.47	12600.84
2	पौधों की सिंचाई दो बार	8572	पौध	6.8	58289.60
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	4000	4000.00

	योग				76890.44
5	40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				30756.18
	योग				107646.62
	षष्टम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	8572	पौध	1.47	12600.84
2	पौधों की सिंचाई दो बार	8572	पौध	6.8	58289.60
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				74890.44
5	50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				37445.22
	योग				112335.66
	सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	8572	पौध	1.47	12600.84
2	पौधों की सिंचाई दो बार	8572	पौध	6.8	58289.60
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				74890.44
5	60 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				44934.26
	योग				119824.70
	अष्टम वर्ष - अनुरक्षण षष्टम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	8572	पौध	1.47	12600.84
2	पौधों की सिंचाई दो बार	8572	पौध	6.8	58289.60
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				74890.44
5	70 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				52423.31
	योग				127313.75
	नवम वर्ष - अनुरक्षण सप्तम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	8572	पौध	1.47	12600.84
2	पौधों की सिंचाई दो बार	8572	पौध	6.8	58289.60
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				74890.44
5	80 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				59912.35
	योग				134802.79
	दशम वर्ष - अनुरक्षण अष्टम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	8572	पौध	1.47	12600.84
2	पौधों की सिंचाई दो बार	8572	पौध	6.8	58289.60
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				74890.44
5	90 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				67401.40
	योग				142291.84
	एकादशम वर्ष - अनुरक्षण नवम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	8572	पौध	1.47	12600.84
2	पौधों की सिंचाई दो बार	8572	पौध	6.8	58289.60
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				74890.44
5	100 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				74890.44
	योग				149780.88
	द्वादशम वर्ष - अनुरक्षण दशम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	8572	पौध	1.47	12600.84
2	पौधों की सिंचाई दो बार	8572	पौध	6.8	58289.60
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2000	2000.00
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2000	2000.00
	योग				74890.44
5	110 प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				82379.48
	योग				157269.92

1.7141 हे० वन क्षेत्र में रोपण हेतु वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण हेतु प्रस्तावित व्यय का सारांश		
क्रम	कार्य का विवरण	व्यय होने वाली राशि रूपये में
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मूदा कार्य	342275.93
2	द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य	855806.97
3	तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वीटिंग अप)	455816.06
4	चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	869087.28
6	पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष	107646.62
7	षष्टम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष	112335.66
8	सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष	119824.70
9	अष्टम वर्ष - अनुरक्षण षष्टम वर्ष	127313.75
10	नवम वर्ष - अनुरक्षण सप्तम वर्ष	134802.79
11	दशम वर्ष - अनुरक्षण अष्टम वर्ष	142291.84
12	एकादशम वर्ष - अनुरक्षण नवम वर्ष	149780.88
13	द्वादशम वर्ष - अनुरक्षण दशम वर्ष	157269.92
	योग	3574252.42
	पूर्णांक	3574252

रूपये शब्दों में - पैंतीस लाख चौहत्तर हज़ार दो सौ बावन मात्र

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. LUCKNOW

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग
औरैया

प्रभागीय वनाधिकारी औरैया वन प्रभाग, औरैया

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
पत्राँक 2613 /14-1 दिनाँक, कानपुर देहात, 01-02- 2025

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक / नोडल अधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
प्रयागराज

विषयः– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात 3.1136 हे0 वनभूमि एवं बाधक 117 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0 वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित वनभूमि व 15.7791 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात कुल 23.5776 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2898 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/15538/2015

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 04 / 05 / 2024 / एफ0सी0 / 112, दिनांक 27.08.2024।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य से कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात कुल 3.1136 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 117 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति के निराकरण की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	अपेक्षित कार्यवाही	निराकरण
1	As per the DSS, some parts of the forest block area in the KML file at Mainpuri, Auraiya and Kanpur Dehat districts have been demarcated as Non-Forest Land. Thus, the rectified and revise KML file along with all related documents of the area proposed for diversion needs to be uploaded on the PARIVESH portal.	संशोधित के0एम0एल0 फाइल परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
2	Divisional Forest Officer (DFO) Kanpur Dehat to re-inspect the area proposed for diversion as it seems that some part of PF area is undervalued.	प्रश्नगत स्थल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया गया कि विषयक प्रकरण में 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि प्रभावित होगी। इस प्रकार कुल 3.1136 हे0 वनभूमि को प्रस्ताव में संशोधित कर समस्त अभिलेख परिवेश पोर्टल के पार्ट–2 में अपलोड कर दिया गया है।

अतः बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest Land to be Diverted under FCA-1980)

A proposal has been received by this office from Group Head - South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. Lucknow for diversion (under FCA-1980) of **3.1136 Ha** Forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of protected forest land to be diverted for construction of 765kv S/C Mainpuri - Bara ckt-1 transmission line.

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on date 11-12-2024

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is 0.8064 Ha protected forest and 2.3072 Ha unclassified forest total measuring area **3.1136 Ha**.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 of part-1 in unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare endangered / unique species of fauna and flora found in the area. If so, the details thereof. **NIL**

Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monument is located in the area, if so, the details thereof with NOC from competent authority, if required. **NIL**

a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. YES
b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions. A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **NO**

Recommendations for acceptance of the proposal.

Divisional Forest Officer
Kanpur Dehat

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

Place Moti, Kanpur Dehat
Date 11-12-2024

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के धनराशि की गणना

साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 765 के० वी० एकल परिपथ मैनपुरी - बारा (सर्किट-1) पारेषण लाइन परियोजना के अंतर्गत कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात में उक्त पारेषण लाइन के निर्माण से प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित एवं 2.3072 हे० अवर्गीकृत अर्थात कुल 3.1136 हे० वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या 5-3/2011-ऍफ़ सी दिनांक 06.01.2022 के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की गणना निम्न प्रकार है :-

1.	प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल	: 3.1136 हे०
2.	प्रभावित संरक्षित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व	: 0.4
3.	प्रभावित संरक्षित वन भूमि का इको क्लास	: III
4.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या 5-3/2011-ऍफ़सी दिनांक 06.01.2022 के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार शुद्ध वर्तमान दर	: रू०12,28,590/- प्रति हे०
5.	प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	: रू०12,28,590/- प्रति हे० x 3.1136 हे०
		= रू०38,25,337.82
	अथवा	= रू०38,25,338.00

(शब्दों में) रू० अड़तीस लाख पचीस हज़ार तीन सौ अड़तीस मात्र

उपरोक्त धनराशि साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा देय होगी, भविष्य में यदि उक्त दर में बढ़ोत्तरी होगी तो तदनुसार धनराशि देय होगी।

(ए० के० द्विवेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. LUCKNOW

765 के० वी० मैनपुरी - बारा सर्किट -1 पारेषण लाइन के नीचे प्रभावित 0.8064हे० संरक्षित एवं 2.3072 हे० अवर्गीकृत अर्थात कुल 3.1136 हे० वन भूमि पर औषधीय / बौने पौधों के रोपण हेतु प्रस्तावित व्यय का प्राक्कलन

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मंडल, कानपुर के पत्रांक - 726/5-1, दिनांक कानपुर सितम्बर 19, 2024 के अनुसार

क्रम	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई प्रति	दर	धनराशि
	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3.1136	हे०	73.57	229.08
2	मृदा परीक्षण 5 हे० में एक	1	सं०	492.97	492.97
3	क्षेत्र की सफाई	3.1136	हे०	4990.47	15538.33
4	गड्ढों का पंक्ति बंधन	3425	सं०	0.52	1764.65
5	गड्ढा खुदान ऊसर भूमि (0.6x0.6x0.6) मी0	3425	सं०	19.89	68115.32
6	जिप्सम का मूल्य, ढुलान, लदवाई व उतराई सहित	3425	गड्ढा	7.44	25481.48
7	प्लास्टिक पाइप - 1"	650	प्रति मी०	64.92	42196.93
8	आर० सी० सी० के खम्बों का मूल्य कर सहित (4 मी० दूरी)	210	पोल	416.30	87423.38
9	फेंसिंग हेतु कंटीले तार का क्रय (5 लड़ी)	3.2	मेट्रिक टन	87476.96	279926.28
10	विडिओ ग्राफी, फोटोग्राफी अन्य व आकस्मिक व्यय (3 प्रतिशत)	लगभग	लगभग		4500.00
11	नहर पटरी पर खर पतवार मूज घास आदि को रूट आउट करने पर व्यय जे० सी० बी० द्वारा	3	घंटे	927.41	2782.22
	योग				**528450.62**
	द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य				
1	गड्ढों में कीटनाशक दवा, जिप्सम, खाद व बालू मिलाकर गड्ढा भरान	3425	पौध	2.52	8646.76
2	गोबर के खाद के आपूर्ति चट्टबंदी सहित प्रति घन मीटर	3425	गड्ढा	12.88	44116.14
3	कीटनाशक दवा का क्रय तथा मिलाना	3425	पौध	0.67	2294.04
4	पौध का मूल्य (5 प्रतिशत अतिरिक्त)	3425	पौध	103.05	352929.13
5	पौधों का रोपण स्थल तक ढुलान (20 से 30 किमी०)	3425	पौध	5.84	20011.08
6	पौधों का स्थानीय ढुलान	3425	पौध	0.81	2788.14
7	पौधा रोपण सिंचाई व थावला बनवाई	3425	पौध	5.02	17187.65
8	रोपण के बाद पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग एक बार प्रथम अक्टूबर दिसम्बर एव द्वितीय फ़रवरी में	3425	पौध	1.51	5188.06
9	पौधों की सिंचाई तीन बार	10275	पौध	7.01	71997.54
10	आर० सी० खम्भों की ग्राउटिंग (1:6) सीमेंट कंक्रीट	210	प्रति खम्भा	265.53	55760.53
11	खम्बों का स्थानीय ढुलान	210	प्रति खम्भा	4.46	936.99
12	तार की खिंचाई	4250	प्रति मी०	1.15	4904.94
13	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय - जुलाई से मार्च तक कुल एक बार	270	प्रति मानव दिवस	237.00	63990.95
14	वृक्षारोपण बोर्ड की बनवाई व लिखाई	1	लगभग	4946.16	4946.16
15	अन्य व्यय 2 प्रतिशत औज़ारों की मरम्मत	लगभग	लगभग	लगभग	2277.46
	योग				657975.57
16	महगाई व मुद्रा स्फीति कुल व्यय का १० प्रतिशत			अनुमानित	65797.56
	योग				**723773.12**
	तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वीटिंग अप)				
1	पौधों की निराई गुड़ाई आदि रोपित पौधों में अप्रैल से मार्च तक तीन बार	10275	गड्ढा	1.51	15564.17
2	पौधों की सिंचाई अप्रैल से मार्च तक नौ बार	30825	गड्ढा	7.01	215992.62
3	तार फेंसिंग मरम्मत	1	लगभग	1030.45	1030.45
4	रासायनिक उर्वरक, कीट नाशक का प्रयोग मूल्य	3.1136	हे०	618.27	1925.05
5	क्षतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	8243.60	8243.60
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	365	प्रति मानव दिवस	237.00	86506.28
7	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	3091.35	3091.35
	योग				332353.52
8	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				33235.35
	योग				**365588.87**
	चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	6850	पौध	1.51	10376.12
2	पौधों की सिंचाई अप्रैल से मार्च तक अट्ठारह बार	61650	पौध	7.01	431985.25
3	मृत पौधों के स्थान पर पुनः ८ फ़ीट से अधिक ऊंचाई की पौध का १० प्रतिशत बदलना (५ प्रतिशत अतिरिक्त)	360	पौध	103.05	37096.20
4	पौधों का ढुलान (१किमी ० - २० किमी०) (५ प्रतिशत अतिरिक्त)	360	पौध	4.16	1498.69
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	360	पौध	0.36	129.84
6	पौधा रोपण एवं तुरंत सिंचाई	360	पौध	5.80	2088.52
7	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	365	प्रति मानव दिवस	237.00	86506.28
8	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.90	2060.90
9	क्षतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	6182.70	6182.70
	योग				577924.48
10	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				57792.45
	योग				**635716.93**
	पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	6850	पौध	1.51	10376.12
2	पौधों की सिंचाई दो बार	6850	पौध	7.01	47998.36
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.90	2060.90
4	क्षतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	4121.80	4121.80
	योग				64557.18
5	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				6455.72
	योग				**71012.90**
	षष्टम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष				

1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	6850	पौध	1.51	10376.12
2	पौधों की सिंचाई दो बार	6850	पौध	7.01	47998.36
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.90	2060.90
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.90	2060.90
	योग				62496.28
5	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				6249.63
	योग				**68745.91**
	सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	6850	पौध	1.51	10376.12
2	पौधों की सिंचाई दो बार	6850	पौध	7.01	47998.36
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.90	2060.90
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.90	2060.90
	योग				62496.28
5	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				6249.63
	योग				**68745.91**
	अष्टम वर्ष - अनुरक्षण षष्टम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	6850	पौध	1.51	10376.12
2	पौधों की सिंचाई दो बार	6850	पौध	7.01	47998.36
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.90	2060.90
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.90	2060.90
	योग				62496.28
5	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				6249.63
	योग				**68745.91**
	नवम वर्ष - अनुरक्षण सप्तम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	6850	पौध	1.51	10376.12
2	पौधों की सिंचाई दो बार	6850	पौध	7.01	47998.36
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.90	2060.90
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.90	2060.90
	योग				62496.28
5	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				6249.63
	योग				**68745.91**
	दशम वर्ष - अनुरक्षण अष्टम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	6850	पौध	1.51	10376.12
2	पौधों की सिंचाई दो बार	6850	पौध	7.01	47998.36
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.90	2060.90
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.90	2060.90
	योग				62496.28
5	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				6249.63
	योग				**68745.91**
	एकादशम वर्ष - अनुरक्षण नवम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	6850	पौध	1.51	10376.12
2	पौधों की सिंचाई दो बार	6850	पौध	7.01	47998.36
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.90	2060.90
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.90	2060.90
	योग				62496.28
5	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				6249.63
	योग				**68745.91**
	द्वादशम वर्ष - अनुरक्षण दशम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	6850	पौध	1.51	10376.12
2	पौधों की सिंचाई दो बार	6850	पौध	7.01	47998.36
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.90	2060.90
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.90	2060.90
	योग				62496.28
5	१० प्रतिशत बढ़ोत्तरी व्यय				6249.63
	योग				**68745.91**

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डेरापुर

प्रभागीय वनाधिकारी

3.1136 हे० वन क्षेत्र में रोपण हेतु वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण हेतु प्रस्तावित व्यय का सारांश

क्रम	कार्य का विवरण	व्यय होने वाली राशि रूपये में
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य	528450.62
2	द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य	723773.12
3	तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वीटिंग अप)	365588.87
4	चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	635716.93
6	पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष	71012.90
7	षष्टम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष	68745.91
8	सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष	68745.91
9	अष्टम वर्ष - अनुरक्षण षष्टम वर्ष	68745.91
10	नवम वर्ष - अनुरक्षण सप्तम वर्ष	68745.91
11	दशम वर्ष - अनुरक्षण अष्टम वर्ष	68745.91
12	एकादशम वर्ष - अनुरक्षण नवम वर्ष	68745.91
13	द्वादशम वर्ष - अनुरक्षण दशम वर्ष	68745.91
	योग	2805763.78
	कुल योग	**2805764**

रूपये शब्दों में - अट्ठाइस लाख पांच हज़ार सात सौ चौसठ मात्र

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देहात

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.
LUCKNOW

LAND SUITABILITY CERTIFICATE

765 के० वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी - बारा पारेषण लाइन सर्किट -1 के निर्माण कार्य हेतु मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 1.7141 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में **प्रभावित** संरक्षित 0.8064 हे० एवं अवर्गीकृत 2.3072 हे० अर्थात **3.1136** हे०**एवं बाधक 117 वृक्षों के पातन, कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन तथा प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित व 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे० वन भूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, कुल 9.1670 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात कुल 23.5776 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 2906 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में (Proposal No. FP/UP/TRANS/15538/2015)।**

प्रमाणित किया जाता है कि विषयक परियोजना के निर्माण में प्रभावित हो रहे 2.3072 अवर्गीकृत वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कानपुर देहात के डेरापुर रेंज अंतर्गत दुगुने अवनत वनभूमि 4.6144 हे० डेरापुर रेंज बान वन ब्लॉक का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित अवनत वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

GEO REFERENCE MAP OF PROPOSED COMPENSETORY AFFORESTATION (CA) PLANTATION IN FOREST LAND

PROPOSAL NO. FP/UP/TRANS/15538/2015 FOR 765kV S/C MAINPURI - BARA TRANS. LINE CKT-1,

FOREST RANGE - DERAPUR, KANPUR DEHAT

FOREST BLOCK - BAN, DERAPUR, KANPUR DEHAT

roposed = 4.6144 Ha
Total = 5.38Ha

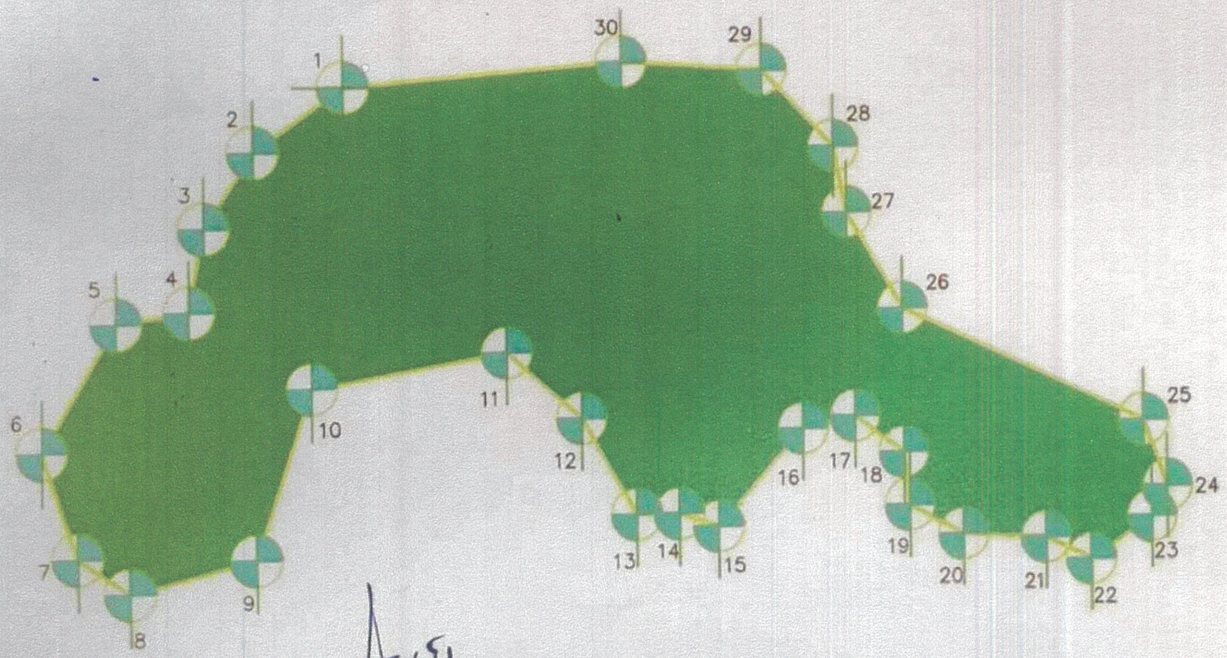

GPS COORDINATES		
Sl.No.	Latitude	Longitude
01.	26°34'21.00"N	79°38'51.00"E
02.	26°34'20.14"N	79°38'49.65"E
03.	26°34'19.12"N	79°38'48.92"E
04.	26°34'18.01"N	79°38'48.71"E
05.	26°34'17.87"N	79°38'47.63"E
06.	26°34'16.17"N	79°38'46.53"E
07.	26°34'14.77"N	79°38'47.05"E
08.	26°34'14.31"N	79°38'47.81"E
09.	26°34'14.76"N	79°38'49.72"E
10.	26°34'17.01"N	79°38'51.00"E
11.	26°34'17.49"N	79°38'53.46"E
12.	26°34'16.61"N	79°38'54.62"E
13.	26°34'15.33"N	79°38'55.50"E
14.	26°34'15.30"N	79°38'56.13"E
15.	26°34'15.15"N	79°38'56.75"E
16.	26°34'16.46"N	79°38'58.04"E
17.	26°34'16.62"N	79°38'58.87"E
18.	26°34'16.13"N	79°38'59.64"E
19.	26°34'15.42"N	79°38'59.78"E
20.	26°34'15.01"N	79°39'0.55"E
21.	26°34'14.98"N	79°39'1.86"E
22.	26°34'14.68"N	79°39'2.59"E
23.	26°34'15.26"N	79°39'3.55"E
24.	26°34'15.68"N	79°39'3.78"E
25.	26°34'16.57"N	79°39'3.41"E
26.	26°34'18.08"N	79°38'59.63"E
27.	26°34'19.38"N	79°38'58.76"E
28.	26°34'20.29"N	79°38'58.51"E
29.	26°34'21.29"N	79°38'57.40"E
30.	26°34'21.39"N	79°38'55.25"E

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डेरापुर

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. LUCKNOW

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

GPS Coordinate

Proposed Forest Land for CA Plantation

765 के० वी० मैनपुरी - बारा सर्किट -1 पारेषण लाइन के नीचे प्रभावित हो रही 0.8064हे० संरक्षित एवं 2.3072 हे० अवर्गीकृत अर्थात कुल 2.3072 हे० के दो गुने अर्थात 2.3072 X 2 =4.6144 हे० में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि कानपूर देहात वन प्रभाग के डेरापुर रेंज के बान वन ब्लॉक में चिन्हित किया गया है। चिन्हित अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं आगामी 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन निम्नानुसार है :-

भूमि का प्रकार : बीहड़ गड्ढों की संख्या = 5076

प्रस्तावित क्षेत्रफल = 4.6144 हे०

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मंडल, कानपुर के पत्रांक - 726/5-1, दिनांक कानपुर सितम्बर 19, 2024 के अनुसार

क्रम	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	इकाई प्रति	दर	धनराशि
	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	4.6144	हे०	73.57	339.50
2	मृदा परीक्षण 5 हे० में एक	1	सं०	492.96	492.96
3	क्षेत्र की सफाई	4.6144	हे०	4990.40	23027.69
4	गड्ढों का पंक्ति बंधन	5076	सं०	0.52	2615.24
5	गड्ढा खुदान ऊसर भूमि (0.6x0.6x0.6) मी0	5076	सं०	19.89	100948.42
6	जिप्सम का मूल्य, ढुलान, लदवाई व उतराई सहित	5076	गड्ढा	7.44	37764.12
7	प्लास्टिक पाइप - 1"	754	प्रति मी०	64.92	48947.72
8	आर० सी० सी० के खम्बों का मूल्य कर सहित (4 मी० दूरी)	360	पोल	416.30	149866.47
9	फेंसिंग हेतु कंटीले तार का क्रय (5 लड़ी)	4.8	मेट्रिक टन	87475.69	419883.30
10	विडिओ ग्राफी, फोटोग्राफी अन्य व आकस्मिक व्यय (3 प्रतिशत)	लगभग	लगभग	लगभग	4500.00
11	नहर पटरी पर खर पतवार मूज घास आदि को रूट आउट करने पर व्यय जे० सी० बी० द्वारा	6	घंटे	927.39	5564.35
	योग				**793949.77**
	द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य				
1	गड्ढों में कीटनाशक दवा, जिप्सम, खाद व बालू मिलाकर गड्ढा भरान	5076	पौध	2.52	12814.70
2	गोबर के खाद के आपूर्ति चट्टबंदी सहित प्रति घन मीटर	5076	गड्ढा	12.88	65381.10
3	कीटनाशक दवा का क्रय तथा मिलाना	5076	पौध	0.67	3399.82
4	पौध का मूल्य (5 प्रतिशत अतिरिक्त)	5076	पौध	103.04	523048.81
5	पौधों का रोपण स्थल तक ढुलान (20 से 30 किमी०)	5076	पौध	5.84	29656.87
6	पौधों का स्थानीय ढुलान	5076	पौध	0.81	4132.09
7	पौधा रोपण सिंचाई व थावला बनवाई	5076	पौध	5.02	25472.48
8	रोपण के बाद पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग एक बार प्रथम अक्टूबर दिसम्बर एवं द्वितीय फ़रवरी में	5076	पौध	1.51	7688.82
9	पौधों की सिंचाई तीन बार	15228	पौध	7.01	106701.96
10	आर० सी० खम्भों की ग्राउटिंग (1:6) सीमेंट कंक्रीट	540	प्रति खम्भा	265.52	143382.15
11	खम्बों का स्थानीय ढुलान	540	प्रति खम्भा	4.46	2409.36
12	तार की खिंचाई	6430	प्रति मी०	1.15	7420.78
13	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय- जुलाई से मार्च तक कुल एक बार	270	प्रति मानव दिवस	237.00	63990.01
14	वृक्षारोपण बोर्ड की बनवाई व लिखाई	1	लगभग	4946.09	4946.09
15	अन्य व्यय ०२ प्रतिशत औज़ारों की मरम्मत	लगभग	लगभग	लगभग	2277.46
	योग				**1002722.47**
	तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वीटिंग अप)				
1	पौधों की निराई गुड़ाई आदि रोपित पौधों में अप्रैल से मार्च तक तीन बार	15228	गड्ढा	1.51	23066.45
2	पौधों की सिंचाई अप्रैल से मार्च तक नौ बार	45684	गड्ढा	7.01	320105.87
3	तार फेंसिंग मरम्मत	1	लगभग	2060.87	2060.87
4	रासायनिक उर्वरक, कीट नाशक का प्रयोग मूल्य	4.6144	हे०	618.26	2852.90
5	क्षतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	8243.48	8243.48
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	312	प्रति मानव दिवस	237.00	73944.02
7	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	3091.31	3091.31
	योग				**433364.90**
	चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	10152	पौध	1.51	15377.63
2	पौधों की सिंचाई अप्रैल से मार्च तक अट्ठारह बार	91368	पौध	7.01	640211.74
3	मृत पौधों के स्थान पर पुनः ८ फ़ीट से अधिक ऊंचाई की पौध का १० प्रतिशत बदलना (५ प्रतिशत अतिरिक्त)	540	पौध	103.04	55643.49
4	पौधों का ढुलान (शेकिमी० - २० किमी०) (५ प्रतिशत अतिरिक्त)	540	पौध	4.16	2248.00
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	540	पौध	0.36	194.75
6	पौधा रोपण एवं तुरंत सिंचाई	540	पौध	5.80	3132.73
7	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय	312	प्रति मानव दिवस	237.00	73944.02
8	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.87	2060.87
9	क्षतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	6182.61	6182.61
	योग				[illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी

	पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	10152	पौध	1.51	15377.63
2	पौधों की सिंचाई दो बार	10152	पौध	7.01	71134.64
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.87	2060.87
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	4121.74	4121.74
	योग				**92694.88**
	षष्टम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	10152	पौध	1.51	15377.63
2	पौधों की सिंचाई दो बार	10152	पौध	7.01	71134.64
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.87	2060.87
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.87	2060.87
	योग				**90634.01**
	सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	10152	पौध	1.51	15377.63
2	पौधों की सिंचाई दो बार	10152	पौध	7.01	71134.64
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.87	2060.87
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.87	2060.87
	योग				**90634.01**
	अष्टम वर्ष - अनुरक्षण षष्टम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	10152	पौध	1.51	15377.63
2	पौधों की सिंचाई दो बार	10152	पौध	7.01	71134.64
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.87	2060.87
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.87	2060.87
	योग				**90634.01**
	नवम वर्ष - अनुरक्षण सप्तम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	10152	पौध	1.51	15377.63
2	पौधों की सिंचाई दो बार	10152	पौध	7.01	71134.64
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.87	2060.87
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.87	2060.87
	योग				**90634.01**
	दशम वर्ष - अनुरक्षण अष्टम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	10152	पौध	1.51	15377.63
2	पौधों की सिंचाई दो बार	10152	पौध	7.01	71134.64
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.87	2060.87
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.87	2060.87
	योग				**90634.01**
	एकादशम वर्ष - अनुरक्षण नवम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	10152	पौध	1.51	15377.63
2	पौधों की सिंचाई दो बार	10152	पौध	7.01	71134.64
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.87	2060.87
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.87	2060.87
	योग				**90634.01**
	द्वादशम वर्ष - अनुरक्षण दशम वर्ष				
1	पौधों की निराई गुड़ाई मलीचिंग सहित दो बार अप्रैल से मार्च तक	10152	पौध	1.51	15377.63
2	पौधों की सिंचाई दो बार	10152	पौध	7.01	71134.64
3	अन्य प्रशासनिक / आकस्मिक प्रभार इत्यादि पर व्यय	1	लगभग	2060.87	2060.87
4	छतिग्रस्त पिलर एवं तार बाड़ की मरम्मत	1	लगभग	2060.87	2060.87
	योग				**90634.01**

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

3.1136 हे० वन क्षेत्र में रोपण हेतु वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण हेतु प्रस्तावित व्यय का सारांश				
क्रम	चरण	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि	10% मंहगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोक्ता एजेंसी से वांछित धनराशि (कालम 3X4)
1	2	3	4	5
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य	793949.77	1	793949.77
2	द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य	1002722.47	1.1	1102994.72
3	तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष (वीटिंग अप)	433364.90	1.21	524371.52
4	चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	1002722.47	1.331	1334623.61
6	पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष	433364.90	1.4641	634489.54
7	षष्टम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष	798995.84	1.6105	1286782.80
8	सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष	92694.88	1.7716	164218.25
9	अष्टम वर्ष - अनुरक्षण षष्टम वर्ष	90634.01	1.9488	176627.56
10	नवम वर्ष - अनुरक्षण सप्तम वर्ष	90634.01	2.1437	194292.13
11	दशम वर्ष - अनुरक्षण अष्टम वर्ष	90634.01	2.3581	213724.06
12	एकादशम वर्ष - अनुरक्षण नवम वर्ष	90634.01	2.5939	235095.57
13	द्वादशम वर्ष - अनुरक्षण दशम वर्ष	90634.01	2.8533	258606.03
	योग			6919775.58
	पूर्णांक			6919776

रूपये शब्दों में - उनहत्तर लाख उन्नीस हज़ार सात सौ छिहत्तर मात्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कानपुर

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.
LUCKNOW